

20-2-23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

14/3/23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषण द्वारा
न्यायिक कार्य समाप्त/बहिष्कार रद्द करने
से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।

28/3/23

उपपक्ष पक्ष उपस्थित पीछली अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं / अकार्य प्र है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28/4/23.....को पेश हो।

रीजर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

3-5-22

पत्रावली पेश हुई प्रशासन गाँवों के संग अभियान
कैम्प ग्राम पंचायत भादू में। विपक्षीगण के सम्मन बाद
तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शाप पत्र किये गये।
विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थिया का शाप पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाप पत्र
किया गया। पत्रावली जेसल कुमार होकर नम्बर से
फर्म हो।

हुक्मीचन्द रोहिलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 29/23 प्र/पत्र

1- श्रीमती कामना देवी वी० देवीलाल ब्राह्मण निवासी-गाडू तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री लाडूलाल S/O लखतार गाडू निवासी-गाडू तहसील-माण्डल [वर्ग-1]
(सहोक्त प्रापत्रसंलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 08.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....गाडू.....पटवार हल्का.....गाडू.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 239, 247, 250, 255 कुल किता.....04.....रकबा.....0.6575 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.02.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। ऐसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....गाडू.....पटवार हल्का.....गाडू.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 239, 247, 250, 255 कुल किता.....04.....रकबा.....0.6575 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....लुहारिया को.....600/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023